

बजिली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मल्लिगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

6 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मली जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र वदियुत वतिरण कंपनी ने बजिली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषति की है ।

प्रमुख बदि

- अवैध उपयोग की सूचना देने पर नरिधारति शर्तों के अधीन पारतिषकि देने का प्रावधान है । सूचना के आधार पर राशा विसूली होने पर सफल सूचनाकर्त्ता को 10 प्रतशित राशा का भुगतान कयि जाएगा । इस राशा की अधिकितम सीमा नहीं है ।
- बजिली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र वदियुत वतिरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लखिति अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है । सूचनाकर्त्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जमिमेदारी संबंधति अधिकारी की रहेगी ।
- कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्त्ता नहीं माना जाएगा । सूचनाकर्त्ता को प्रोत्साहन राशा का भुगतान कंपनी मुख्यालय से कयि जाएगा । प्रोत्साहन राशा सीधे सूचनाकर्त्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।
- प्रकरण बनाने एवं राशा विसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतशित राशा प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी ।
- कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रयान्वयन के लिये वजिलेंस सेल गठति कयि गया है । इस वजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है ।